<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>11.10.2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद ने 09.10.2024 को वर्तमान बाजार मूल्य **रुपये 47.70 करोड़ (लगभग)** वाली अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जो कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत "क्रिप्टोकरेंसी बिटकनेक्ट कॉइन" के मामले में अपराध की आय (पीओसी) हैं।

ईडी ने दिव्येश दर्जी, सतीश कुंभानी, शैलेश भट्ट और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ सीआईडी, अपराध, पुलिस स्टेशन, सूरत द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि नवंबर, 2016 से जनवरी, 2018 की अवधि के दौरान, बिटकनेक्ट कॉइन (एक क्रिप्टोकरेंसी) के प्रमोटर सतीश कुंभानी ने एक विश्वव्यापी नेटवर्क स्थापित किया और जनता को भारी रिटर्न की पेशकश करके बिटकनेक्ट कॉइन से संबंधित विभिन्न निवेश योजनाओं में निवेश करने के लिए प्रेरित किया। अब तक की जांच के अनुसार, सतीश कुंभानी और उनके सहयोगियों ने भारी मात्रा में निवेश जुटाया और निवेशकों को धोखा दिया। बाद में, सतीश कुंभानी और उनके सहयोगियों द्वारा अर्जित अपराध की आय के एक हिस्सा को शैलेश भट्ट और उनके सहयोगियों ने सतीश कुंभानी के दो सहयोगियों का अपहरण करके हड़प लिया।

जांच के दौरान, यह पता चला कि उक्त संपत्तियां संबंधित व्यक्तियों द्वारा अपनी वैध आय से अर्जित नहीं की गई थीं और उन्हें पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराधों के परिणामस्वरूप प्राप्त किया गया था।

यह उल्लेख करना उचित है कि वर्तमान मामले में ईडी, अहमदाबाद ने पहले **488 करोड़ रुपये (लगभग)** की पीओसी कुर्क की थी। अनंतिम रूप से कुर्क की गई चल संपत्तियां सतीश कुंभानी, शैलेश भट्ट और उनके सहयोगियों द्वारा अर्जित पीओसी का एक हिस्सा हैं।

शैलेश भट्ट को भी 13.08.2024 को मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध में गिरफ्तार किया गया था और उनके खिलाफ 10.10.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), अहमदाबाद के समक्ष अभियोजन शिकायत दर्ज की गई है। आरोपी शैलेश भट्ट न्यायिक हिरासत में है। माननीय न्यायालय ने पीसी का संज्ञान लिया है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।